

पर्यटन मंत्रालय
मांग संख्या 99
पर्यटन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	810.14	...	810.14	2483.12	1.77	2484.89	851.14	4.49	855.63	2534.94	6.13	2541.07
वसूलियां	-8.32	...	-8.32	-5.27	...	-5.27	-5.27	...	-5.27	-0.01	...	-0.01
प्राप्तियां
निवल	801.82	...	801.82	2477.85	1.77	2479.62	845.87	4.49	850.36	2534.93	6.13	2541.06
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	10.93	...	10.93	11.50	...	11.50	11.96	...	11.96	12.14	...	12.14
2. पर्यटन महानिदेशक	83.52	...	83.52	87.01	1.77	88.78	96.64	4.49	101.13	92.78	6.13	98.91
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	94.45	...	94.45	98.51	1.77	100.28	108.60	4.49	113.09	104.92	6.13	111.05
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
पर्यटन अवसंरचना												
3. विशिष्ट विषयों पर आधारित पर्यटन सर्किट का समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन)	349.87	...	349.87	1750.00	...	1750.00	350.00	...	350.00	1900.00	...	1900.00
4. तीर्थयात्रा पुनरोद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद)	125.90	...	125.90	240.00	...	240.00	100.00	...	100.00	240.00	...	240.00
5. पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों हेतु सहायता	50.62	...	50.62	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00
6. चैम्पियन सेवा क्षेत्र योजना	2.81	...	2.81	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
जोड़-पर्यटन अवसंरचना	529.20	...	529.20	2080.03	...	2080.03	540.00	...	540.00	2230.03	...	2230.03
संवर्धन एवं प्रचार												
7. बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार	51.04	...	51.04	33.02	...	33.02	33.00	...	33.00	3.07	...	3.07
	-3.05	...	-3.05
<i>निवल</i>	<i>47.99</i>	...	<i>47.99</i>	<i>33.02</i>	...	<i>33.02</i>	<i>33.00</i>	...	<i>33.00</i>	<i>3.07</i>	...	<i>3.07</i>
8. बाजार विकास सहायता सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार	71.51	...	71.51	176.97	...	176.97	92.95	...	92.95	136.90	...	136.90
जोड़-संवर्धन एवं प्रचार	119.50	...	119.50	209.99	...	209.99	125.95	...	125.95	139.97	...	139.97
प्रशिक्षण एवं कौशल विकास												
9. आई.एच.एम/ एंफ़.सी.आई./आई.आई.टी.टी.एम/ एन. आई.डब्ल्यू.एस.	31.71	...	31.71	50.00	...	50.00	32.00	...	32.00	35.00	...	35.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
को सहायता												
10. सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	21.69	...	21.69	34.05	...	34.05	34.05	...	34.05	25.00	...	25.00
जोड़-प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	53.40	...	53.40	84.05	...	84.05	66.05	...	66.05	60.00	...	60.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	702.10	...	702.10	2374.07	...	2374.07	732.00	...	732.00	2430.00	...	2430.00
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
11. महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल												
11.01 निर्भया निधि में अंतरण	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27	0.01	...	0.01
11.02 कार्यक्रम घटक	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27	0.01	...	0.01
11.03 निर्भया निधि से राशि को पूरा करना	-5.27	...	-5.27	-5.27	...	-5.27	-5.27	...	-5.27	-0.01	...	-0.01
<i>निवल</i>	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27	0.01	...	0.01
कुल जोड़	801.82	...	801.82	2477.85	1.77	2479.62	845.87	4.49	850.36	2534.93	6.13	2541.06
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. विविध सामान्य सेवाएं	0.50	...	0.50	0.20	...	0.20	0.25	...	0.25
जोड़-सामान्य सेवाएं	0.50	...	0.50	0.20	...	0.20	0.25	...	0.25
सामाजिक सेवाएं												
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-सामाजिक सेवाएं	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
आर्थिक सेवाएं												
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	10.93	...	10.93	11.50	...	11.50	11.96	...	11.96	12.14	...	12.14
4. पर्यटन	790.89	...	790.89	2227.84	...	2227.84	759.70	...	759.70	2282.53	...	2282.53
5. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	1.77	1.77	...	4.49	4.49	...	6.13	6.13
जोड़-आर्थिक सेवाएं	801.82	...	801.82	2239.34	1.77	2241.11	771.66	4.49	776.15	2294.67	6.13	2300.80
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	238.00	...	238.00	74.00	...	74.00	240.00	...	240.00
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान
जोड़-अन्य	238.00	...	238.00	74.00	...	74.00	240.00	...	240.00
कुल जोड़	801.82	...	801.82	2477.85	1.77	2479.62	845.87	4.49	850.36	2534.93	6.13	2541.06

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. इंडिया टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	...	71.86	71.86	70.42	70.42	...	70.42	70.42
2. कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स प्रा.लि.	...	8.18	8.18	...	12.00	12.00	...	9.00	9.00	...	10.00	10.00
जोड़	...	80.04	80.04	...	12.00	12.00	...	79.42	79.42	...	80.42	80.42

- सचिवालय:** यह प्रावधान पर्यटन मंत्रालय के सचिवालय व्यय को पूरा करने के लिए किया गया है।
- पर्यटन महानिदेशक:** यह प्रावधान पर्यटन महानिदेशालय के मुख्यालय की स्थापना तथा इसके अधीन आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए है। पर्यटक सूचना का प्रसार, पर्यटन अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, होटल, ट्रेवल एजेंटों, गाइडों, आदि जैसे यात्रा उद्योग के विभिन्न घटकों का विनियमन उनके मुख्य कार्य हैं। इसमें बेहतर पर्यटक सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सूचना प्रौद्योगिकी पहलों के लिए भी प्रावधान किया गया है।
- विशिष्ट विषयों पर आधारित पर्यटन सर्किट का समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन):** इस योजना का उद्देश्य उच्च पर्यटक मूल्य के सिद्धांत पर विषय आधारित पर्यटक सर्किट का विकास करना, पर्यटन अनुभव और रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों की आवश्यकता और धारणा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सामंजस्यपूर्ण प्रयास से एकीकृत रूप में प्रतिस्पर्धात्मक और संधारणीयता विकसित करना है। वर्तमान में स्वदेश दर्शन योजना के तहत 13 थीमेटिक सर्किटों को शामिल करते हुए 76 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। इस आवंटन में धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए प्रावधान शामिल है।
- तीर्थयात्रा पुनरोद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद):** प्रसाद योजना का उद्देश्य पर्यटकों के धार्मिक/आध्यात्मिक और विरासत अनुभवों को समृद्ध करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और सभी हितधारकों की आवश्यकताओं और सरोकारों पर ध्यान देते हुए प्रयासों में तालमेल कायम करके एकीकृत तरीके से अधिक पर्यटक यात्राओं, प्रतिस्पर्धात्मक एवं संधारणीयता के सिद्धांतों पर तीर्थ तथा विरासत पर्यटक गंतव्यों की पहचान करना और उनका विकास करना है।
- पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों हेतु सहायता:** पर्यटन स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास इसके लक्षित उद्देश्यों तथा समाज के लिए अन्य सामाजिक आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर जनसमुदाय सृजित कर सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) से सभी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का समग्र विकास संभव नहीं होगा क्योंकि अनेक महत्वपूर्ण स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पत्तन न्यास, आईटीडीसी, आदि जैसे केन्द्रीय अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र/नियंत्रण में हैं, और उनके नियंत्रणाधीन पर्यटक रूचि के स्थलों का समग्र विकास उनके स्वयं के संसाधनों से सम्भव नहीं होगा तथा विकास के पश्चात विशेषज्ञता और अनुसंधान और प्रबंधन अनुभव की अभिसारिता की आवश्यकता हो सकती है। इन कमियों को दूर करने तथा केन्द्रीय अधिकरणों की सक्रिय भागीदारी के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय अधिकरणों के स्वामित्व वाले पर्यटक रूचि की क्षमतावान परिसंपत्तियों को विकसित करने के उद्देश्य से ऐसे पर्यटक रूचि वाले स्थलों को केन्द्रीय अधिकरणों द्वारा संवर्धित करने हेतु प्रावधान किया गया है।

- चैम्पियन सेवा क्षेत्र योजना:** चैम्पियन सेवा क्षेत्र योजना भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी गंतव्य स्थान बनाने और घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों के लिए अधिक समृद्ध अनुभव वाला स्थल बनाने के लिए पर्यटन क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से तैयार की गई है।
- बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को वैश्विक रूप से सर्वाधिक पसंदीदा स्थल के रूप में स्थापित करना है। इस योजना के अंतर्गत अत्यधिक प्रचार और विपणन अभियान चलाए जाते हैं। मंत्रालय इंफ्लुएंसिबल इंडिया ब्रांड के विपणन के लिए दोहरे लाभ की नीति पर कार्य कर रहा है। स्पेन, चीन, फ्रांस आदि जैसे कुछ बाजारों में अधिक व्यापक और लक्षित पहुंच के लिए तथा नए बाजारों में मंत्रालय के प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना के लिए संवर्धनात्मक कार्यकलाप स्थानीय भाषाओं में चलाई जाती है।
- बाजार विकास सहायता सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार:** इस योजना के अंतर्गत, घरेलू पर्यटन के संवर्धन और सामाजिक जागरूकता संदेशों को प्रचारित करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं। देश के महत्वपूर्ण पर्यटक उत्पादों के संवर्धन के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अभियान चलाए गए। पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू एवं कश्मीर के पर्यटक स्थल के रूप में संवर्धन के लिए भी अभियान चलाए गए।
- आई.एच.एम/ एंफ.सी.आई./आई.आई.टी.एम/ एन. आई.डब्ल्यू.एस. को सहायता:** देश में पर्यटन क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों की भारी कमी है। पर्यटन मंत्रालय मौजूदा होटल प्रबंधन संस्थानों (आईएचएम), खाद्य शिल्प संस्थानों (एफसीआई), भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी), राष्ट्रीय जल क्रीडा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस) का विस्तार और उन्नयन करने तथा होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम) और खाद्य शिल्प संस्थानों (एफसीआई) जैसे नए संस्थानों की स्थापना करने के लिए भी केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ताकि पर्यटन उद्योग में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और इस उद्देश्य के लिए योजना के तहत आवंटित निधि का उपयोग किया जा सके।
- सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण:** सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) ने एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका शीर्षक हुनर से रोजगार तक है, जो न्यूनतम 8 वीं पास और 18 वर्ष की आयु से अधिक के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए है। कार्यक्रम का उद्देश्य इस क्षेत्र की कुशल मानव शक्ति की आवश्यकता को पूरा करना है, साथ ही समाज में गरीबों तक रोजगारपरक कौशल प्रदान करना है। आतिथ्य क्षेत्र में कार्यरत सेवा प्रदाताओं के कौशल को प्रमाणित करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। युवाओं में क्षमता विकसित करने तथा सूक्ष्म और लघु व्यवसाय स्टार्ट-अप को सुविधा देने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया है।

11. **महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल:** महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल एक ऐसी स्कीम है, जिसमें पर्यटन स्थल के आसपास सुरक्षित, भय रहित और महिला अनुकूल परिवेश प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी और अपराध और उत्पीड़न के डर के बिना यात्रा कर सकेंगी।